पंजाब केसरी

WED, 21 June 2023

पंजाब केसरी
WED,21 JUNE 2023
EDITION: JALANDHAR, PAGE NO. 6

पहले कर्त्तव्य निभाएं, फिर अधिकार मांगें

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां नागरिक अपने अधिकारों के साथ पूरी स्वतंत्रता से रहते हैं। अपने देश के प्रति भारत के नागरिकों के बहुत से कर्त्तव्य भी हैं। अधिकार और कर्त्तव्य, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों साथ-साथ चलते हैं। यदि हम अधिकार रखते हैं, तो हम उन अधिकारों से जुड़े हुए कुछ कर्त्तव्य भी रखते हैं। जहां भी हम रह रहे हैं, घर, समाज, गांव, राज्य या देश ही क्यों न हो, वहां अधिकार और दायित्व हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं।

प्रि. डा. मोहन लाल शर्मा

बचपन में माता-पिता तथा परिजनों की आज्ञा मानना भी कर्त्तव्य कहलाता है, विद्यार्थी जीवन में गुरु की आज्ञा ही उसका कर्त्तव्य बन जाती है। युवावस्था में उसके कर्त्तव्य परिजनों, पड़ोसियों के अतिरिक्त राष्ट्र के प्रति भी हो जाते हैं। उसके कंधों पर समाज और राष्ट्र की उन्नति का भार आ पड़ता है। उसे देश की कारीगरी, कला-कौशल और व्यापार की उन्नति करनी पड़ती है। ऐसे तमाम दायित्वों से उसका जीवन सदा त्याग, तपस्या और सेवा-भाव में लिप्त रहता है। जिस प्रकार प्रत्येक शासक का कर्त्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है, ठीक उसी प्रकार प्रजा का कर्त्तव्य भी उसकी नीतियों पर अमल करना है। शिक्षक का कर्त्तव्य अपने छात्रों के हृदय पर से अज्ञानता का अंधेरा हटाकर उन्हें आदर्शवादी बनाना है। यही सब मानव के कर्त्तव्य हैं।

अपने कर्त्तव्यों को आदर सहित पूरा करना कर्त्तव्य परायणता कहलाता है। इनको पूरा करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो अपने कर्त्तव्य के पथ से विचलित हो जाता है, उसका समाज में आदर नहीं होता। जो मानव लज्जा, भय, निंदा और विघ्नों की चिंता न करके अपने-अपने कर्त्तव्यों पर अटल रहते हैं, वे जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने अनेक कष्टों को सहन किया, पर मुगलों के सामने नतमस्तक नहीं हुए। कर्त्तव्य पालन से ही हम असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं।

सही मायनों में तो अधिकार और कर्त्तव्य के बीच सकारात्मक और नकारात्मक का अद्भुत गठजोड़ है। उदाहरण स्वरूप, महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को मोह रूपी सागर ने घेर लिया था, जिससे वे 'किंकर्त्तव्यविमूढ़' हो गए तो भगवान श्री कृष्ण को 'गीता ज्ञान' देकर उनको कर्त्तव्य के लिए प्रेरणा-जोश का मार्ग दिखलाना पड़ा। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार खुद उसका कर्त्तव्य बन जाता है। यदि एक व्यक्ति चाहता है कि वह अपने अधिकारों का उपभोग बिना किसी रुकावट के कर सके और समाज में लोग उसके अधिकार में विघ्न बाधा उत्पन्न न करें, तो उसका कर्त्तव्य है कि वह उसी प्रकार के दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करे तथा उनके अधिकारों के उपभोग में विघ्न-बाधा उत्पन्न न करे।

इसमें दो राय नहीं कि कुछ न कुछ कर बैठने को ही कर्त्तव्य नहीं कहा जा सकता। अधिकार जताने से कभी अधिकार सिद्ध नहीं होता। अधिकार पाना और अधिकारी होना एक ही बात नहीं हो सकती। अधिकार के लिए संघर्ष करना कोई पाप नहीं, बल्कि कर्त्तव्य है। कर्त्तव्य ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता और धैर्य एक ऐसा कड़वा पौधा है, जिस पर हमेशा मीठे फल आते हैं। इसलिए कर्त्तव्य पालन ही जीवन का सच्चा मूल्य है।

कर्त्तव्य और अधिकार एक-दूसरे से अभिन्न हैं। जब हम यह समझते हैं कि समाज और राज्य में रह कर हमारे कुछ अधिकार हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि समाज और राज्य में रहते हुए हमारे कुछ कर्त्तव्य भी हैं क्योंकि अधिकार और कर्त्तव्य घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। रिश्तों में भी कर्त्तव्य और अधिकार का बड़ा महत्व है, जो बिना कुछ कहे सब कुछ सह जाते हैं और दूर रहकर भी अपना कर्त्तव्य निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं।

drmlsharma5@gmail.com